तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1725/2005/जयपुर बद्रीनारायण बनाम सुजाराम	नम्बर व तारीख
	न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर **एकलपीठ** **कमला अलारिया, सदस्य** **–आदेश–** **दिनांक 02–12–2025** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या–23/2004 में पारित निर्णय दिनांक 01–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह तथ्य प्रकट किए गए कि आक्षेपित आदेश दिनांक 01–03–2005 जोकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पारित किया गया था, से संबंधित मूल वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 18–08–2025 को खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में जब हस्तगत प्रकरण में मूल वाद का निस्तारण अंतिम रूप से हो चुका है। उपरोक्त तथ्य के प्रकटीकरण की रोशनी में हस्तगत निगरानी याचिका स्वतः सारहीन/निष्प्रभावी होने से खारिज किए जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी 1725/2005 सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार लौटाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(कमला अलारिया)** सदस्य	